NOTICE – GENERAL

No.: REG./GEN/2020-21/41 | 01 March 2021

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक सूचना (सत्र 2020–21)

(अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु)

संस्थान में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020–21 हेतु उ०प्र० शासन से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Postmatric Scholarship/ Fee Reimbursement) हेतु जिन छात्रों ने आवेदन किया है के सम्बन्ध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 559/अ0सं0क0/2020–21, दिनांक 01 मार्च 2021, में दिये गये निर्देशानुसार, जिन छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संदिग्धता की श्रेणी में आ गया है एवं उनके आवेदन पत्र में कोई भी गलती नही हैं ऐसे छात्र/छात्राओं को दिनांक **04 मार्च 2021** तक संस्थान के कुलसचिव कार्यालय (Registrar Office) में स्वंय उपस्थित होकर स्वलिखित तथा स्वहस्ताक्षरित कर निम्नांकित संलग्नक लगाकर प्रार्थना पत्र जमा करने है।

संलग्नको का विवरण निम्नवत् हैः–

1. छात्र/छात्राओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।
3. वर्तमान स्टेटस की प्रति (दिनांक 26/02/2021 या इसके बाद का)।
4. विगत वर्ष का अंकपत्र **(Result)**।
5. हाईस्कूल प्रमाण पत्र **(Certificate)** नेट वेरिफिकेशन सहित।
6. संदिग्धता से सम्बन्धित साक्ष्य के नेट की प्रति।
7. छात्र/छात्रा का ए0के0टी0यू0 का आवंटन पत्र **(Allotment Letter)** की प्रति यदि छात्र काउंसलिंग से है।
8. छात्र/छात्रा सभी प्रपत्रों को स्वहस्ताक्षरित करें एवं प्रार्थना पत्र सभी संलग्नको सहित दो प्रति में जमा करें।

विशेषः–विलम्ब की स्थिति में आवेदन पत्र अग्रसरित न हो पाने तथा शुल्क प्रतिपूर्ति अथवा छात्रवृत्ति अथवा दोनो ही न प्राप्त होने पर छात्र स्वंय जिम्मेदार होगा।

आज्ञा से,

(डा० सतीश चन्द्र)

कुलसचिव

01/03/2021